

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 17/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

**बनाम**

अप्रार्थी

1. अब्दुल सत्तार पुत्र अब्दुल मजीद (एफबीओ/मालिक) फर्म – मैसर्स समीर किराणा, सब्जी मण्डी, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर। निवासी – दियासाजी का तकिया, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर।
2. श्री लोकेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र मोहन खंडेलवाल (निर्माता/मालिक) फर्म – मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रोडक्ट्स, खसरा नं0 7062, रूपाली भवन, डांग, राजगढ़ रोड़, सराधना, जिला अजमेर।

**--:आदेश :-**

**दिनांक :- 18.04.2019**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.10.2017 को श्री रजनीश शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म – मैसर्स समीर किराणा, सब्जी मण्डी, पीपाड़सिटी, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ वनस्पति (गिरधारी) आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त वनस्पति (गिरधारी) के एक लीटर के चार पैकेट वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रुपये 400/- नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

खरीदशुदा वनस्पति (गिरधारी) के एक लीटर के चार पैकेट्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम- 1672 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम- 1672 हस्ताक्षर युक्त डॉ0 सुरेन्द्र चौधरी अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम- 1672 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त

कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की। जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गईं। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि **वनस्पति (गिरधारी)** के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग-अलग 2-2 भागों में **एम-1672** की जांच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट एलएस/1134/एक्ट/2017/1135 दिनांक 29.11.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) (v) एवं धारा 31(2) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 एवं धारा 58 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना **एम- 1672** एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जांच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण पेश करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने बाबत लिखा गया, प्रति प्रस्तुत की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 को सुना गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए लिखित में निवेदन किया है कि मेरे द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से सील पैक माल खरीदा जाता है तथा वही सील पैक माल मेरे द्वारा वापस बेचा जाता है। इस सील बन्द तेल में मेरे द्वारा कोई मिलावट नहीं की जाती है। मैंने उक्त माल का बिल थोड़ी देर से पेश किया था। अतः कृपया कर मेरे ऊपर कम से कम जुर्माना लगावें अथवा कार्यवाही ड्रॉप फरमावे। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद इत्तला जरिये (रजिस्टर्ड डाक) नोटिस के अनुपस्थित रहा।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया एवं अप्रार्थी संख्या 1 को भी सुना। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी अब्दुल सत्तार, मैसर्स समीर किराणा स्टोर, पीपाड़ सिटी, जोधपुर दिनांक 19.10.2017 को वक्त जांच के दौरान खाद्य पदार्थ **वनस्पति (गिरधारी)** एक लीटर के 7 पैकेट विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच हेतु सैम्पल लिए गए, जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर, राजस्थान को भेजा गया था, उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 29.11.2017 के अनुसार **वनस्पति (गिरधारी)** का नमूना Baudouin Test When tested as per rules. Positive. Not less than 2.0 red units in 1cm. cell on Lovibond scale. के स्थान पर Negative होने के कारण निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर का होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) (v) एवं धारा 31(2) का उल्लंघन किया है जो धारा 51

एवं धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

### आदेश

पत्रावली, एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1135 दिनांक 29.11.2017 का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) (v) एवं धारा 31(2) का दोषी हैं। अप्रार्थी 1 अब्दुल सत्तार पर शास्ती रूपये 10000/- अक्षरे रूपये दस हजार की आरोपित की जाती हैं तथा अप्रार्थी 2 लोकेश कुमार खंडेलवाल पर शास्ती रूपये 25000/- अक्षरे रूपये पच्चीस हजार की आरोपित की जाती हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर-अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)  
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्रमांक: कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2019/

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. अब्दुल सत्तार पुत्र अब्दुल मजीद (एफबीओ/मालिक), फर्म - मैसर्स समीर किराणा, सब्जी मण्डी, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर। निवासी - दियासाजी का तकिया, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर।
4. श्री लोकेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र मोहन खंडेलवाल (निर्माता/मालिक) फर्म - मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रोडक्ट्स, खसरा नं0 7062, रूपाली भवन, डांग, राजगढ़ रोड़, सराधना, जिला अजमेर।

(मदनलाल नेहरा)  
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।